भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1472

(दिनांक 04.12.2024 को उत्तर के लिए)

व्हिलस ब्लोअर्स संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2015

1472. श्री माथेश्वरन वी.एस.:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार व्हिसल ब्लोअर्स संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुनः पुरःस्थापित करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो इसे कब तक पुनः पुरःस्थापित किए जाने की संभावना है; और

(ख) 01.01.2019 से अब तक केन्द्रीय सतर्कता आयोग को केन्द्र सरकार के समूह 'क' के अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त भ्रष्टाचार की शिकायतों अथवा आरोपों की संख्या का ब्यौरा और उन शिकायतों की स्थिति क्या है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ.जितेन्द्र सिंह)

(क): व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम, 2014 (2014 का क्रमांक 17) दिनांक 12 मई, 2014 को अधिसूचित किया गया है। इस अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (3) के प्रावधान के संदर्भ में, इस अधिनियम के प्रावधान ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगें जो केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे। सरकार द्वारा ऐसी कोई अधिसूचना इस कारण से नहीं बनाई गई है कि इस अधिनियम को लागू होने से पहले भारत की संप्रभुता और अखंडता, राष्ट्र की सुरक्षा आदि को प्रभावित करने वाले प्रकटनों के लिए सुरक्षा पर लक्षित संशोधनों की आवश्यकता है। इस अधिनियम में ये संशोधन करने के लिए, सरकार ने 11 मई, 2015 को लोकसभा में व्हिसल ब्लोअर्स संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2015 पुरःस्थापित किया, जिसे 13 मई, 2015 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया और राज्यसभा को प्रेषित किया गया। सोलहवीं लोकसभा के भंग होने के बाद यह विधेयक व्यपगत हो गया है। व्हिसल ब्लोअर्स संरक्षण (संशोधन) विधेयक संसद के वर्तमान सत्र के अनुमोदित सरकारी विधायी कार्य का हिस्सा नहीं है।

(ख): केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 8(2)(क) और (ख) के साथ पठित धारा 8(1) (ग) और (घ) में निहित प्रावधानों के तहत केंद्रीय सतर्कता आयोग विभिन्न स्रोतों से शिकायतें प्राप्त करता है। ऐसी शिकायतों की जांच करने के पश्चात, आयोग की शिकायत निवारण नीति के अनुसार उचित कार्रवाई की जाती है। 01.01.2019 से 31.10.2024 की अवधि (वर्ष-वार) के दौरान, आयोग में प्राप्त हुई ऐसी शिकायतों की संख्या और उन पर की गई कार्रवाई, **संलग्नक-1** में दी गई तालिका में दर्शाई गई है।

इसके अतिरिक्त, आयोग व्हिसल ब्लोअर्स से शिकायतें भी प्राप्त करता है और उन पर कार्रवाई करता है क्योंकि जनहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण संकल्प (पीआईडीपीआईआर) के तहत, आयोग व्हिसल

ब्लोअर्स से शिकायतें प्राप्त करने के लिए 'नामोद्दिष्ट एजेंसी' है। जनहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण संकल्प (पीआईडीपीआईआर) के तहत प्राप्त हुई ऐसी शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई का वर्षवार विवरण **संलग्नक-2** में दिया गया है।

आयोग में प्राप्त हुई शिकायतों में, केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के सभी स्तरों के अधिकारियों/कार्मिकों के विरूद्ध शिकायतें शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, आयोग को राज्य सरकारों से संबंधित अधिकारियों/संगठनों, निजी संगठनों और उनके कर्मचारियों आदि के खिलाफ भी शिकायतें प्राप्त होती हैं। चूंकि संघ सरकार के समूह 'क' अधिकारियों के खिलाफ प्राप्त हुई शिकायतों के संबंध में अलग से कोई आंकड़े नहीं रखे जा रहे हैं, इसलिए तालिका में दिए गए आंकड़े 01.01.2019 से 31.10.2024 के दौरान आयोग में प्राप्त हुई सभी शिकायतों के संबंध में स्थिति को दर्शाते हैं।

******

संलग्नक -1

01.01.2019 से 31.10.2024 तक की अवधि के दौरान आयोग द्वारा प्राप्त की गई और निपटाई गई शिकायतों की संख्या निम्नानुसार है- :

प्राप्त हुई शिकायतें और कृत कार्रवाई	शिकायतों की संख्या					
	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 (31.10.2024 तक)**
लंबित शिकायतों की संख्या (पिछले वर्ष से अग्रेनीत)	3070	836	1723	1077	698	1889
वर्ष के दौरान प्राप्त हुई शिकायतों की संख्या	32579	26199	24680	21723	27900	24689
शिकायतों की कुल संख्या	35649	27035	26403	22800	28598	26578
निस्तारित शिकायतों की कुल संख्या	34813	25312	25326	22102	26709	25069
(क) अनाम/छद्‌मनाम (दायर)	6975	6595	7638	2085	2214	1249
(ख)अस्पष्ट/असत्यापित (दायर)	7425	3886	2875	4168	8361	9213
(ग) सीवीसी के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं आने वाले अधिकारी/शिकायतें (आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित)	20078	14752	14650	15695	15907	14366
(घ) सीवीओ/सीबीआई को पूछताछ/जांच के लिए प्रेषित	335	79	163	154	227	241
लंबित शिकायतों की संख्या (अगले वर्ष को अग्रेनीत)	836	1723	1077	698	1889	

संलग्नक -2

दिनांक 01.01.2019 से 31.10.2024 तक की अवधि के दौरान जनहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण संकल्प के अंतर्गत आयोग द्वारा प्राप्त हुई और निपटाई गई शिकायतों की संख्या निम्नानुसार है (आयोग व्हिसल ब्लोअर्स द्वारा दर्ज की गई शिकायतों को प्राप्त करने और उन पर कार्रवाई करने के लिए नामोद्दिष्ट एजेंसी है): -

प्राप्त शिकायतें और कृत कार्रवाई	**शिकायतों की संख्या**					
	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 (31.10.2024 तक)**
लंबित शिकायतों की संख्या (पिछले वर्ष से अग्रेनीत)	**29**	**75**	**35**	**5**	**20**	**63**
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	**870**	**480**	**1022**	**1902**	**2010**	**1948**
शिकायतों की कुल संख्या	**899**	**555**	**1057**	**1907**	**2030**	**2011**
निस्तारित शिकायतों की कुल संख्या	**824**	**520**	**1052**	**1887**	**1967**	**2011**
(क) दायर की गई शिकायतों की संख्या	**434**	**207**	**429**	**1339**	**1359**	**1192**
(ख) गैर-सतर्कता (आवश्यक कार्रवाई हेतु विभागों/संगठनों को अग्रेषित)	**242**	**252**	**446**	**291**	**360**	**601**
(ग) सीवीओ/सीबीआई द्वारा पूछताछ/जांच के लिए प्रेषित	**148**	**61**	**177**	**257**	**248**	**218**
लंबित शिकायतों की संख्या(अगले वर्ष को अग्रेनीत)	**75**	**35**	**5**	**20**	**63**	